

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

E-mail: dfonainital_uta@yahoo.com

Telefax.05942-236790

पत्रांक:- ५१६५ /३- दिरमोली
सेवा में,

अधिशासी अभियंता,
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
नैनीताल।

विषय :- जनपद-नैनीताल में दरमोली, पिठोली सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 1.19 है० वन भूमि
का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो०नि०वि० कोप्रत्यावर्तन प्रस्ताव संख्या (FP/UK/ROAD/8248/2014)

संदर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र
सं० ८बी०/यू०पी०सी०/०६/९१/२०१८/एफ०सी०/२२९७ दिनांक १७.०२.२०२१। एंव अपर प्रमुख
वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र सं० २२०२
/FP/UK/ROAD/8248/2014 देहरादून, दिनांक २२-०२-२०२१

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। विषयगत प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण,
वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित निम्न लिखित शर्तों का
अनुपालन किया जाना है।

१- शर्त न० ३(क) के अनुपालन में वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर ३.५१ है०
सिविल एंव सोयम ग्राम अधौडा खसरा संख्या २९२३ में क्षतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। क्षतिपूरक वृक्षारोपण
हेतु चयनित ग्राम अधौडा सिविल सोयम भूमि वन विभाग के नाम नामान्तरण एंव हस्तानान्तरण के सुप्रमाण प्रेषित
किया जाना है। उक्त भूमि हल्द्वानी वन प्रभाग के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत है।

शर्त न० ३(ख) के अनुपालन में गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में
हस्तान्तरित एव रूपान्तरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एंव Notification करने के पश्चात ही
भारत सरकार द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। वन विभाग के स्वामित्व से बाहर ऐसे क्षेत्र जो क्षतिपूरक
वृक्षारोपण हेतु चयनित किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एंव नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय
वन अधिनियम १९२७ के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक
है।

शर्त न० ३(ग) के अनुपालन में मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि
उक्त CA क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया।

२- शर्त न० ४ के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक
वृक्षारोपण एंव १० वर्षो तक रखरखाव की धनराशि रु० १.१९ X २= ३.३८ है० X ३,३७,१८४.०० = ८,०२,४९८.००
(रु० आठ लाख दो हजार: चार सौ अठानब्दे) मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी है। जो
प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र संख्या ९७२/३-५-२ दिनांक २१-११-२०१७ द्वारा निर्धारित दर
पर आगणन किया गया है।

स०अ०३/१७०
३-शर्त न० ५(क) के अनुपालन में एन०पी०वी० की धनराशि रूपया १.१९ है० X ६,५७,०००=७,८१,८३०.०० (रु०
सात लाख इकासी हजार आठ सौ तीस) मात्र वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी है।

शर्त न० ५(ख) के अनुपालन में विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा
प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो,
को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इसका एक शपथ पत्र
प्रस्तुत करेगा।

४-शर्त न० ९ के अनुपालन में एफ.आर.ए. २००६ का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित
प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।

५-शर्त न० १० के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण आई०आरसी० मानदण्डो के अनुसार सड़क के दोनों
किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।

६-शर्त न० ११ के अनुपालन में संरक्षित क्षेत्रों/ वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति
विनियम साइनेज लगाए जाएंगे।

७-शर्त न० १२ के अनुपालन में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ के प्राविधानों के अनुसार,
उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।

दिनांक २३/२ /२०२१
क्रमांक सं० ५६०
प्रकाशनी सं० १०८९
दिनांक २५/०२/२०२१

8—शर्त न0 16 के अनुपालन में संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।

9—शर्त न0 20 के अनुपालन में इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।

10—शर्त न0 21 के अनुपालन में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय—समय पर निर्धारित शर्त लागू होंगी।

11—शर्त न0 22 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्द्धिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षय में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलुवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलेवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इसका स्थिलीकरण एवं सुधार कार्य योजना अनुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलुवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार की सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित अन्य शर्तों का अनुपालन आख्याँ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अतः भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित उक्त शर्तों की बिन्दु वार अनुपालन प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही सम्भव हो सके।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

पत्रांक /उक्तादिनांकित।

प्रतिलिपि :- अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उपरोक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - वन संरक्षक दक्षिणी कुमाऊँ वृत नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी नैनीताल को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।